राजस्थान सरकार
आयुक्त,महिला अधिकारिता विभाग
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः– प–14(1)(34) निमअ/सामूवि/विविध/2012/ 14817 जयपुर, दिनांकः– 28/3/13

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2013–14 के बिन्दु संख्या 110 के अनुसरण में 'राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009' के नियम–13 (1) में संशोधन करते हुए सामूहिक विवाह आयोजनों के अंतर्गत किए गए विवाह हेतु अनुदान राशि रू. 6000 प्रति जोड़ा से बढ़ाकर रू. 12500 प्रति जोड़ा करने की महामहिम राज्यपाल महो. की स्वीकृती एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त राशि. में से नियम 13(2) के अनुसरण में आयोजक संस्था को अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि को रू. 1500 प्रति जोड़ा से बढ़ाकर रू. 2500 प्रति जोड़ा किया जाता है।साथ ही सामूहिक विवाह में विवाह करने वाले प्रति जोड़े को अनुदान की सीमा रू. 4500 से बढाकर रू. 10000 की जाती है। यह राशि नव विवाहिता (वधू) के नाम से डाक–घर या अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा कराई जाएगी।

इसी प्रकार नियम 13 (3) में संशोधन करते हुए प्रत्येक सामूहिक विवाह आयोजन में अधिकतम जोड़ों की संख्या ... 166 से बढ़ाकर 500 की जाती है।

उक्त आदेश वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाहों पर लागू होंगे। यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161300511 दिनांक 23.03.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(डॉ. सरिता सिंह)
आयुक्त म.अ.एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– प–14(1)(34) निमअ/सामूवि/विविध/2012/ 14818-943 जयपुर, दिनांकः– 28/3/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 प्रमुख शासन सचिव,मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2 माननीय मंत्री महोदया,महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान जयपुर ।
3 माननीय राज्य मंत्री महोदया,महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान जयपुर
4 मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान जयपुर।
5 प्रधान महालेखाकर, राजस्थान जयपुर।
6 प्रमुख शासन सचिव ,महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान जयपुर।
7 प्रमुख शासन सचिव ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राजस्थान जयपुर।
8 प्रमुख शासन सचिव ,सामान्य प्रशासन विभाग,राजस्थान जयपुर।
9 प्रमुख शासन सचिव ,कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ,राजस्थान जयपुर।
10 निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राजस्थान जयपुर।
11 संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप–4) आयोजन विभाग ,राजस्थान जयपुर।
12 संयुक्त शासन सचिव ,वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
13 निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान, जयपुर।
14 समस्त अधिकारीगण मुख्यालय जयपुर।
15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् , समस्त।
16 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
17 मुख्य लेखाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
18 कोषाधिकारी कोष कार्यालय समस्त।
19 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी सचिवालय जयपुर।
20 कार्यालय अधीक्षक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/क.ले. अंक मिलान।
21 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सरिता सिंह)
आयुक्त म.अ.एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग